राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–995 / 2025

विजय कुमार

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये आयुक्त, महिला अधिकारिता एवं पंचायतीराज (महिला अधिकारिता) विभाग, राजस्थान सरकार, जे–7, झालाना इंस्टीट्यूशनल एरिया, जयपुर।
2. उप निदेशक, महिला अधिकारिता विभाग, सीकर।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 17.02.2025

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री संदीप सक्सेना, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री संजीव सिंघल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर कार्यालय उप निदेशक, महिला अधिकारिता विभाग, सीकर में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण कार्यालय सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता, झुन्झुनू में किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता तर्क है कि अपीलार्थी अल्प वेतनभोगी कर्मचारी है। ऐसे में अपीलार्थी का स्थानान्तरण एक जिले से दूसरे जिले में किया जाना उचित नहीं है। उनका यह भी तर्क है कि अपीलार्थी के स्थान पर अन्य किसी को पदस्थापित नहीं किया गया है। केवलमात्र अपीलार्थी को हैरान और परेशान करने की दृष्टि से अपीलार्थी का स्थानान्तरण किया गया है।
3. हमनें अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा दिये गये तर्को पर विचार किया।
4. हम पाते है कि अपीलार्थी वर्तमान स्थान पर वर्ष 1996 से कार्यरत है। अपीलार्थी का स्थानान्तरण प्रशासनिक कारणों से किया गया है। ऐसे में हमारे समक्ष यह प्रकट नहीं हुआ है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण दुर्भावनापूर्वक तरीके से किया गया हो।

ऐसी स्थिति में आलोच्य आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं पाते हैं। जहां तक अपीलार्थी का यह तर्क कि अपीलार्थी अल्प वेतनभोगी कर्मचारी है और उसका स्थानान्तरण किये जाने से उसे आर्थिक कठिनाईयों का सामना करना पडेगा, इस समस्या के सम्बन्ध में अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के लिये स्वतंत्र है।

5. उपरोक्त विवेचना के आधार पर इस अपील में कोई बल नहीं होने से अपील खारिज की जाती है।

(अनन्त भंडारी)
सदस्य(न्यायिक)

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष